

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि०न० - 121/2022

अनवान : -

1. भगताराम पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी मलखेड़ा त० व जिला सिरसा।
वादी

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र उदमीराम उर्फ उदमी जाति जाट निवासी मलखेड़ा त० भादरा।
2. बलदेव सिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी मलखेड़ा त० भादरा।
3. इन्द्रावती पुत्री रामजीलाल जाति जाट निवासी मलखेड़ा त० भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।


प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री खेताराम कस्वा व वकील प्रतिवादी श्री अमित देहडू की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मौजा चक चक 13 एएमएस के खाता सं० 120/112 के मु०न० 53 के किला न० 17 ता 25 मु०न० 54 के किला न० 6 ता 9, 11 ता 25, मु०न० 55 के किला न० 1 ता 15, 17 ता 20, मु०न० 56 के किला न० 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, की कुल 15.6860है० खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 रामजीलाल के नाम 1/5 हिस्सा इसी प्रकार चक 14 एएमएस के खाता सं० 86/189 के मु०न० 15 के किला न० 10/1, 10/2, 11, 20 मु०न० 16 के किला न० 6/1, 6/2, 14/1, 14/2, 15, 16, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 23/1, 23/2, 24, 25 मु०न० 17 के किला न० 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, की कुल 3.5420है० बरानी मय रास्ता खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 रामजीलाल के नाम 1/5 हिस्सा व इसी प्रकार चक 18 एएमएस के खाता सं० 86/86 के मु०न० 36 के किला न० 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11 ता 13, 18 ता 24 मु०न० 37 के किला न० 16, 25 मु०न० 43 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2 की कुल 5.0600है० नहरी मय खाला व रास्ता खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 रामजीलाल के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें तन्हा प्रतिवादी सं० 1 रामजीलाल की बजाय का वादी भगताराम प्रतिवादी सं० 1 रामजीलाल प्रतिवादी सं० 2 बलदेव सिंह प्रतिवादी सं० 3 इन्द्रावती को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/6/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से

जारी की गई।




(शकुंतला चौधरी)
R.A.S.
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 -121 / 2022

अनवान : -



1. भगताराम पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी मलखेड़ा त0 व जिला शिरसावादी

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र उदमीराम उर्फ उदमी जाति जाट निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।
2. बलदेव सिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।
3. इन्द्रावती पुत्री रामजीलाल जाति जाट निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री खेताराम कस्वा वादी
श्री अमित देहडू प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 29/6/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही मौजा चक चक 13 एएमएस के खाता सं0 120/112 के मु0न0 53 के किला न0 17 ता 25 मु0न0 54 के किला न0 6 ता 9, 11 ता 25, मु0न0 55 के किला न0 1 ता 15, 17 ता 20, मु0न0 56 के किला न0 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, की कुल 15.6860 है0 खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 रामजीलाल के नाम 1/5 हिस्सा इसी प्रकार चक 14 एएमएस के खाता सं0 86/189 के मु0न0 15 के किला न0 10/1, 10/2, 11, 20 मु0न0 16 के किला न0 6/1, 6/2, 14/1, 14/2, 15, 16, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 23/1, 23/2, 24, 25 मु0न0 17 के किला न0 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, की कुल 3.5420 है0 बरानी मय रास्ता खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 रामजीलाल के नाम 1/5 हिस्सा व इसी प्रकार चक 18 एएमएस के खाता सं0 86/86 के मु0न0 36 के किला न0 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11 ता 13, 18 ता 24 मु0न0 37 के किला न0 16, 25 मु0न0 43 के किला न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2 की कुल 5.0600 है0 नहरी मय खाला व रास्ता खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 रामजीलाल के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू हैं व हिन्दू विधि से शासित हैं। वाद भूमि पहले वादी के दादा उदमीराम उर्फ उदमी की खातेदारी हुआ करती थी। उदमीराम उर्फ उदमी के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने महज कर्ता खानदान के कारण अपने नाम दर्ज करवा ली। वाद भूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का जन्म से हक अधिकार निहित है। इस प्रकार वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही बिनाय मुखारमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं० 4 के द्वारा जवाब पेश किया गया।

साक्ष्य वादी में भगताराम के द्वारा साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में प्रस्तुत दरतावेजात जमाबंदी चक 13 एएमएस प्रदर्श 1 जमाबंदी चक 14 एएमएस प्रदर्श 2 जमाबंदी चक 18 एएमएस प्रदर्श 3 आधार कार्ड चित्रप्रति प्रदर्श 4ए वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 सदस्य प्रमाण पत्र ग्रा०प० मलखेड़ा प्रदर्श 6 जमाबंदी चक 18, 14, 13 प्रदर्श 7 ता 9 नामान्तरण प्रदर्श 10 करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दरतावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद में वादी ने रोही मौजा चक चक 13 एएमएस के खाता सं० 120/112 के मु०न० 53 के किला न० 17 ता 25 मु०न० 54 के किला न० 6 ता 9, 11 ता 25, मु०न० 55 के किला न० 1 ता 15, 17 ता 20, मु०न० 56 के किला न० 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, की कुल 15.6860है० खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 रामजीलाल के नाम 1/5 हिस्सा इसी प्रकार चक 14 एएमएस के खाता सं० 86/189 के मु०न० 15 के किला न० 10/1, 10/2, 11, 20 मु०न० 16 के किला न० 6/1, 6/2, 14/1, 14/2, 15, 16, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 23/1, 23/2, 24, 25 मु०न० 17 के किला न० 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, की कुल 3.5420है० बारानी मय रास्ता, खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 रामजीलाल के नाम 1/5 हिस्सा व इसी प्रकार चक 18 एएमएस के खाता सं० 86/86 के मु०न० 36 के किला न० 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11 ता 13, 18 ता 24 मु०न० 37 के किला न० 16, 25 मु०न० 43 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2की कुल 5.0600है० नहरी मय खाला व रास्ता खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 रामजीलाल के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वाद भूमि प्रस्तुत जमाबंदियों से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 5 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी डीक्री किये जाने योग्य है।

अतः : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक चक 13 एएमएस के खाता सं० 120/112 के मु०न० 53 के किला न० 17 ता 25 मु०न० 54 के किला न० 6 ता 9, 11 ता 25, मु०न० 55 के किला न० 1 ता 15, 17 ता 20, मु०न० 56 के किला न० 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, की कुल 15.6860है० खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 रामजीलाल के नाम 1/5 हिस्सा इसी प्रकार चक 14 एएमएस के खाता सं० 86/189 के मु०न० 15 के किला न० 10/1, 10/2, 11, 20 मु०न० 16 के किला न० 6/1, 6/2, 14/1, 14/2, 15, 16, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 23/1, 23/2, 24, 25 मु०न० 17 के किला न० 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, की कुल 3.5420है० बारानी मय रास्ता खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 रामजीलाल के नाम 1/5 हिस्सा व इसी प्रकार चक 18 एएमएस के खाता सं० 86/86 के मु०न० 36 के किला न० 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11 ता 13, 18 ता 24 मु०न० 37 के किला न० 16, 25 मु०न० 43 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2की कुल 5.0600है० नहरी मय खाला व रास्ता खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1

रामजीलाल के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें तन्हा प्रतिवादी सं० 1 रामजीलाल की बजाय का वादी भगतराम प्रतिवादी सं० 1 रामजीलाल प्रतिवादी सं० 2 बलदेव सिंह प्रतिवादी सं० 3 इन्द्रावती को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/6/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(शंकरलाल चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला-हनुमानगढ़